भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्या: 2904**

**बुधवार, 21 मार्च, 2018 को उत्तर दिए जाने के लिए**

**सी.आई.आई. सहभागिता सम्मेलन, 2018**

**अता.प्र.सं. 2904. श्री टी.जी. वेंकटेशः**

**क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

(क) क्या हाल ही में विशाखापत्तनम में सी.आई.आई. सहभागिता सम्मेलन, 2018 का आयोजन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सहभागी राष्ट्रों के समक्ष चर्चा के लिए उठाए गए मामलों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्‍तर**

**वाणिज्‍य और उद्योग मंत्रालय में राज्‍य मंत्री**

**(श्री सी. आर. चौधरी)**

**(क) से (ग):** जी, हां। सहभागिता सम्‍मेलन 2018 विशाखापट्टनम में 24 से 26 फरवरी, 2018 के बीच आयोजित किया गया था। इस वर्ष के सम्‍मेलन का विषय ‘**नए भारत की वैश्विक एकीकरण रणनीति का निर्माण**’ था। सहभागिता सम्‍मेलन 2018 में 40 देशों के 4000 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया जिनमें मंत्री, सरकारी अधिकारी, उद्योग संघ, उद्योगपति और अन्‍य हितधारक शामिल थे। सहभागिता सम्‍मेलन के दौरान बहुपक्षीय व्‍यापार, वैश्विक मूल्‍य श्रृंखला, व्‍यवसाय करने में आसानी, उद्योग 4.0, अवसंरचना विकास, स्‍टार्टअप, कौशल विकास, हरित समाधान आदि के बारे में गहन विचार-विमर्श तथा द्विपक्षीय और बहुपक्षीय चर्चाएं की गईं। इस सम्‍मेलन ने विभिन्‍न हितधारकों को एक-दूसरे से संपर्क करने, एक-दूसरे के दृष्टिकोण तथा अपेक्षाओं को समझने तथा परस्‍पर लाभकारी लक्ष्‍यों की दिशा में काम करने का अवसर भी प्रदान किया।

**(घ):** जी, हां। कई समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्‍ताक्षर किए गए हैं। तथापि, इन एमओयू का ब्‍यौरा केंद्रीय रूप से समेकित नहीं किया जाता है।

\*\*\*\*